दिनांक 09.10.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

वूमन फार ट्री योजना के तहत महिला स्व–सहायता समूहो को दिया गया प्रशिक्षण

भिलाईनगर। केन्द्र सरकार की अमृत मित्र 2.0 अंतर्गत वूमन फार ट्री योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उददेश्य से वृक्षारोपण कराने दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ है। शासन के मंशानुसार महिलाओं का सहयोग लेकर प्रति महिला 100 पेड़ लगाने की योजना है, जिसके लिए प्रति महिला 8000 मानदेय केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है साथ ही जियो टैगिंग का 1000 रूपये अतिरिक्त दिया जाना है। नगर निगम भिलाई में 8 अगस्त से इस योजना की शुरूवात की गई है। महिलाओं के मानदेय भुगतान से संबंधित कुछ मांग थी, जिसके लिए महिला स्व–सहायता समूहो का निगम सभागार में बैठक आयोजित की गई। योजना के नोडल अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा सहित कार्यपालन अभियंता वेशराम सिन्हा एवं उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू की उपस्थित में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी महिला समूह जल्द ही सौंपे गए कार्य पूर्ण करें और जियो टैगिंग कर जानकारी उद्यान विभाग में प्रस्तुत करें, जिससे उनके मानदेय भुगतान हेतु शासन को भेजा जा सकें।